आदेश की तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि बिक्री अनुमति वाद सं०—110/2021

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्री सरयु राम—विक्रेता

प्रति

श्रीमती मधु कुमारी—क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री सरयु राम, पिता—स्व० रामदेव राम, ग्राम—कल्याणपुर, पोस्ट—कल्याणपुर, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती मधु कुमारी, पति—श्रीकान्त राम, ग्राम—ओबरा, पोस्ट—हरिगांवा, थाना—बरडीहा, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इश्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 327/दिनांक 07.10.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इश्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के स्वयं के नाम से चलता है। विक्रेता जाति के कहार (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के चन्द्रवंशी कहार (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल—कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू—हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री सरयु राम, पिता—स्व० रामदेव राम, ग्राम—कल्याणपुर, पोस्ट—कल्याणपुर, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा ने क्रेता श्रीमती मधु कुमारी, पति—श्रीकान्त राम, ग्राम—ओबरा, पोस्ट—हरिगांवा, थाना—बरडीहा, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत बिक्री हेतु हस्तानान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
कल्याणपुर	230	12	1360	0.04	उ०—नीज विक्रेता, द०—नीज विक्रेता वो उदय कुमार, पू०—जयश्री चन्द्रवंशी व चन्दन प्रसाद वगैरह, प०—विक्रेता द्वारा 14 कड़ी छोड़ा गया रास्ता
			कुल रकबा:—	0.04	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

13/10/22 — अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

13/10/22 — अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:12:20 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner